न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः— **उम्मेदी लाल मीना** आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 01 / 2015

अनवानः
भगवानाराम पुत्र स्व0 श्री रामप्रताप जाति बिश्नोई निवासी बिलोचावाला, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत लिखमीसर पंचायत समिति पीलीबंगा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत लिखमीसर, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।
2. हेतराम पुत्र कानाराम (फौत)
3. मनोहर पुत्र स्व० हेतराम जाति बिश्नोई निवासीगण बिलोचावाला, तहसील पीलीबंगा।
4. पतराम पुत्र स्व० हेतराम जाति बिश्नोई निवासीगण बिलोचावाला, तहसील पीलीबंगा।
5. हंसराज पुत्र स्व० हेतराम जाति बिश्नोई निवासीगण बिलोचावाला, तहसील पीलीबंगा।
6. सीताराम पुत्रगण स्व० हेतराम जाति बिश्नोई निवासीगण बिलोचावाला, तहसील पीलीबंगा।
7. रोशनी (पुत्री स्व० श्री हेतराम) धर्मपत्नी श्री कृष्णलाल जाति बिश्नोई निवासी घमन्डिया तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
8. सीमा (पुत्री स्व० श्री हेतराम) धर्मपत्नी श्री इन्द्रजीत जाति बिश्नोई निवासी 64 एलएनपी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
9. ग्राम पंचायत बिलोचावाला पंचायत समिति पीलीबंगा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बिलोचावाला, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ ।

अप्रार्थीगण

निगरानी प्रार्थना—पत्र विरूद्व पट्टा विलेख दिनांक 15.12.64, 15.11.64 व पट्टा विलेख मिसल संख्या 70 दिनांक 02.10.72, मिसल संख्या 71 दिनांक 02.10.72 जो अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 के पक्ष में जारी किये है, बमुराद मन्सूखी उक्त पट्टेजात व स्वीकार किये जाने निगरानी प्रार्थना—पत्र।

उपस्थितः—
1 श्री लालचन्द वर्मा, अशोक भादू अभिभाषक निगरानीकर्ता।
2 श्री बलविन्द्रसिंह अभिभाषक अप्रार्थी सं. 03 ता 08

—:निर्णयः—

दिनांकः—23.10.2024

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी के पिता स्व० श्री रामप्रताप पुत्र श्री रामरख जाति बिश्नोई को भारत सरकार के अधीन क्षेत्रीय बन्दोबस्त अधिकारी, राजस्थान, जयपुर द्वारा एक आवासीय भूखण्ड संख्या 804 पट्टा दिनांक 27.06.61 जारी किया गया जो कि कालान्तर में विभाजन में स्व० श्री रामप्रताप के वारिसों में से प्रार्थी भगवानाराम को प्राप्त हुआ जिस पर प्रार्थी का निर्विवाद रूप से कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि उक्त पट्टा के भूखण्ड पर अर्सा एक सप्ताह पूर्व अप्रार्थीगण संख्या 2 से 4 ने जबरन कब्जा करने का प्रयास किया तथा अपने इस उद्देश्य हेतु प्रार्थी के उक्त भूखण्ड पर लकड़ी व बनसटियां डालने का असफल प्रयास किया तो अप्रार्थीगण ने सर्वप्रथम प्रकट किया कि उक्त भूखण्ड के संबंध में ग्राम पंचायत लिखमीसर द्वारा पट्टे जारी किए हुए है। प्रार्थी ने इस तथ्य बाबत अप्रार्थीगण से उनके पक्ष में जारी पट्टो की चित्रप्रतियां हासिल की तथा इन पट्टो की प्रमाणित प्रतिलिपि

Signature Not Verified
Digitally Signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.11.12 11:12:37 IST
Reason: SelfAttested

हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष निवेदन किया लेकिन अभी तक प्रार्थी को इन पट्टो की प्रमाणित प्रतिलिपियां उपलब्ध नहीं करवाई गई है। तत्कालीन ग्राम पंचायत लिखमीसर द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 2 से 4 के पक्ष में जारी किये गये पट्टे कतई गलत व विधि विरूद्ध एवं अधिकारिता रहित है। प्रार्थी इन पट्टो को अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत कर रहा है।

निगरानीधीन पट्टे जो तत्कालीन ग्राम पंचायत लिखमीसर द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 2 से 4 के पक्ष में जारी किये गये है। कतई गलत, विधि विरूद्ध एवं तत्कालीन पचायत अधिनियम के अधीन बने नियमों आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत है। अप्रार्थी संख्या 2 से 4 के पक्ष में जारी पट्टों की चित्रप्रतियां जो प्रार्थी को अप्रार्थीगण संख्या 2 से 4 से प्राप्त हुई है, संलग्न निगरानी प्रार्थना पत्र है। प्रश्नगत पट्टे जिस भूखण्ड के संबंध में जारी किये गये है, वह भूखण्ड प्रार्थी के आधिपत्य व धारण में है तथा इस भूखण्ड का पट्टा प्रार्थी के पिता के पक्ष में दिनांक 27.06.61 को केन्द्रीय बन्दोबस्त अधिकारी, जयपुर राजस्थान द्वारा जारी किया हुआ था। तत्कालीन ग्राम पंचायत लिखमीसर को इस पट्टा शुदा भूखण्ड पर पुनः पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं था। निगरानीधीन पट्टे तत्कालीन ग्राम पंचायत लिखमीसर के भूतपूर्व सरपंच स्व० श्री बस्तीराम व स्व० श्री अनोख सिंह द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाए बिना एवं कोई जांच किये बिना पारित किये गये है तथा अप्रार्थीगण के पक्ष में उक्त पट्टे जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायत अधिनियम सन् 1961 व इसके अधीन बने नियमों के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की है।

अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 के पक्ष में जारी पट्टों के संबंध में कोई पत्रावली मुर्तिब नहीं की गई तथा ना ही किसी प्रकार की जांच की गई। प्रश्नगत पट्टो पर कोई क्रमांक भी दर्ज नहीं है। अप्रार्थी संख्या 2 से 4 ने तत्कालीन सरपंचों से मिलीभगत कर फर्जी व कूटरचित पट्टे अपने पक्ष में जारी करवाए है। प्रश्नगत् भूखण्ड का पट्टा केन्द्रीय बन्दोबस्त अधिकारी जयपुर राजस्थान द्वारा दिनांक 27.06.1961 को ही जारी हो चुका था। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत भूखण्ड तत्कालीन पंचायत में नीहित ही नहीं था। तत्कालीन ग्राम पंचायत अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त वैद्य एवं प्रभावशील पट्टा के अस्तित्व में रहते प्रश्नगत भूखण्ड के संबंध में पुनः पट्टा जारी करने की अधिकारिता नहीं थी। अप्रार्थीगण संख्या 2 से 4 ने निगरानीधीन पट्टो को आज तक प्रगट नहीं किया है तथा अब सर्वप्रथम अर्सा एक सप्ताह पूर्व इन पट्टो को अपने पक्ष में वैद्य व प्रभावशील मानते हुए प्रार्थी के आधिपत्य व स्वामित्व के भूखण्ड पर जबरन कब्जा करने का प्रयास करने पर प्रार्थी को इन पट्टो के बारे में जानकारी हुई है। ज्ञान के दिवस से यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी अविलम्ब प्रस्तुत कर रहा है। यह कि अप्रार्थी संख्या 1 का क्षेत्राधिकार वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 5 के अधीन है तथा गांव बिलोचावाला से संबंधित अभिलेख अप्रार्थी संख्या 5 के नियंत्रण में होने से उसे पक्षकार बनाया जा रहा है। अतः निगरानी प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जावें तथा अप्रार्थीगण संख्या – 2 से 4 के पक्ष में जारी पट्टो को अपास्त फरमाया जावें ।

बहस सुनी गयी। अभिभाषक निगरानीकर्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी के पिता [illegible] रामप्रताप पुत्र श्री रामरख जाति बिश्नोई को भारत सरकार के अधीन क्षेत्रीय [illegible] अधिकारी, राजस्थान, जयपुर द्वारा एक आवासीय भूखण्ड संख्या 804 पट्टा [illegible] जारी किया गया जो कि कालान्तर में घरू विभाजन में स्व० श्री रामप्रताप के वारिसों में से प्रार्थी भगवानाराम को प्राप्त हुआ जिस पर प्रार्थी का निर्विवाद रूप से कब्जा चला आ रहा है। तत्कालीन ग्राम पंचायत लिखमीसर द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 2 से 4 के पक्ष में जारी किये गये पट्टे कतई गलत व विधि विरूद्ध एवं अधिकारिता रहित है। प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना–पत्र स्वीकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.11.12 11:12:37 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

फरमाया जावें तथा अप्रार्थीगण संख्या – 2 से 4 के पक्ष में जारी पट्टो को अपास्त फरमाया जावें।

अभिभाषक अप्रार्थीयान ने अपनी बहस में कथन किये कि पत्रावली मियाद से प्रभावित, निगरानी प्रार्थना पत्र अत्यधिक विलंब से पेश की गयी है। पटटा जो 1964 में जारी किया गया था, 1964 से 2014 तक पचास वर्ष देरी से प्रस्तुत की गयी है। निगरानीकर्ता के पिता के पांच पुत्र थे और अप्रार्थीगण के निगरानीकर्ता के ताउ भजनलाल के वंशज है, ऐसे में बखुबी उक्त निगरानी से संबंधित पटटों की निगरानीकर्ता को अवश्य जानकारी रही है। वर्ष 1961 में कोई भुप्रबंध कार्यवाही नहीं हुई। सेटलमेंट से यदि कोई निगरानीकर्ता को पटटा जारी हुआ है तो इसका नामांतरकरण होना चाहिये था, जो प्रकट नहीं है। इस संबंध में सिविल न्यायालय में रामप्रताप बनाम हेतराम वाद लंबित है, इसमें राइट तय होने है, वाद अभी विचाराधीन है। अप्रार्थी हेतराम की मृत्यु हो चुकी है। उक्त भूखण्ड पर कब्जा अप्रार्थीगण का है, निगरानी सीमा पार होने के कारण खारिज योग्य है। प्रश्नगत भूखण्ड के सम्बंध में निगरानीकर्ता श्री भगवानाराम के पिता श्री रामप्रताप ने प्रश्नगत भूखण्ड पर अपना स्वामित्व व आधिपत्य अभिकथित करते हुए एक वाद न्यायलय सिविल न्यायाधीश (क०ख०) एवं न्यायिक मजि0 प्रथम वर्ग पीलीबंगा के समक्ष मिन अप्रार्थीगण के पिता श्री हेतराम पुत्र कानाराम, हंसराज पुत्र हेतराम एवं अप्रार्थी संख्या 3 को पक्षकार संयोजित करते हुए व ग्राम पंचायत हांसलिया व पंचायत समिति हनुमानगढ़ को भी प्रतिवादीगण संयोजित कर वाद संख्या 13/97 प्रस्तुत किया था। इस वाद में निगरानीकर्ता के पिता ने वादाधीन भूखण्ड को पुनर्वास विभाग के रीजनल सैटलमेंट कमिशनर राजस्थान जयपुर के मैनेजिंग ऑफिसर श्रीगंगानगर द्वारा विक्रय प्रमाण पत्र दिनांक 27.06.1961 को अपने स्वामित्व व आधिपत्य का आधार बनाया था। सिविल न्यायालय ने निगरानीकर्ता के द्वारा प्रस्तुत उक्त सिविल वाद को खारिज किया व यह भी निर्धारित किया कि निगरानीकर्ता के पिता ने अभिकथित तौर पर उसे आवंटित भूखण्ड के साईज को स्पष्ट नहीं किया है। ऐसी स्थिति में उसे मनचाहे तरीका से वहां अवस्थित भूभाग पर कब्जा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है। सिविल न्यायालय द्वारा श्री रामप्रताप के द्वारा प्रस्तुत किये कथनों को स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार सिविल न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण की विषयवस्तु के सम्बंध में पक्षकारों के सिविल अधिकारों का अंतिम रूप से निर्धारण किया जा चुका है ऐसी अवस्था में श्री रामप्रताप की मृत्यु के पश्चात् उसके पुत्र निगरानीकर्ता श्री भगवानाराम के द्वारा पूर्व की विषयवस्तु व अर्न्तनिहित विवाद बिन्दुओं के सम्बंध में नये सिरे से मामले को एजीटेट नहीं किया जा सकता है। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

1. RRT 2002(1) Chiranji Lal vs Addl Collector Jaipur
2. 2013(1) RLW 164 (Raj) Ramesh Chand vs Ram Charan Singh

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया और उद्घृत न्यायिक नजरों पर मनन किया गया।

1. प्रकरण में प्रथमतः विलम्ब के बिन्दू का निस्तारण किया जाना है। निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम 1963 का अवलोकन किया, इसमें निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र दिनांक 22.12.2014 के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम में निगरानीकर्ता द्वारा द्वारा प्रश्नगत पटटा दिनांक 12.2.64, 15.01.64, मिसल सं0 70 दिनांक 02.10.72 व मिसल सं0 71 दिनांक 02.10.72 के संबंध में निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने तक की अवधि तक देरी का कारण स्पष्ट नहीं किया है। पटटा जो 1964 में जारी किया गया था, 1964 से 2014 तक पचास वर्ष देरी से प्रस्तुत की गयी है। निगरानीकार एवं अप्रार्थी एक ही परिवार के वंशज है, इससे निगरानीकार ने मना नहीं किया है। ऐसे में बखुबी उक्त निगरानी से संबंधित पटटों की

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.11.12 11:12:37 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़

निगरानीकर्ता को अवश्य जानकारी रही है। माननीय नजीर न्यायालय द्वारा समय–समय यह मत प्रतिपादित किया है कि विलम्ब माफी हेतु दिन–प्रतिदिन विलम्ब का कारण स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। अभिभाषक निगरानीकर्ता द्वारा लगभग 50 साल बाद इस पट्टा को निरस्त करने हेतु इस न्यायालय में निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की है, जिसका स्पष्ट कारण उल्लेख नहीं किया है। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना मियाद बाहर है, अवधि में छूट पाने का हकदार नहीं है। ऐसी स्थिति में निगरानी प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है।

2. अभिभाषक अप्रार्थीयान द्वारा प्रस्तुत माननीय न्यायालय की नजीरें विलम्ब से पेश करने पर बखुबी चस्पा होती है।

अतः निगरानी प्रार्थना पत्र मियाद अवधि से बाहर होने के कारण निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेदी लाल मीना)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.11.12 11:12:37 IST
Reason: SelfAttested